प्रेस विज्ञप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय
दिनांक 15.03.2023 (सं0–174)

सारण मुफस्सिल थाना की घटना का अद्यतन

- दिनांक 14.03.2023 को सारण जिले के मुफस्सिल थानान्तर्गत ग्राम साढ़ा से श्री सुनील राय (42 वर्ष) पिता श्री रामबालक राय, साकिन साढ़ा का अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा अपहरण कर लिये जाने की सूचना प्रतिवेदित हुयी ।
- अपहृत सुनील कुमार राय के भाई सिकन्दर कुमार के लिखित आवेदन पर मुफस्सिल थाना काण्ड सं0–205/23, दिनांक–14.03.2023, धारा–364 भा0द0वि0 अंकित किया गया।
- अपहृत की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जिला पुलिस द्वारा एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया है।
- विभिन्न श्रोतों से आसूचना संकलन, सी0सी0टी0वी0 फुटेज के अवलोकन के उपरान्त पुलिस के द्वारा चलाये गये अभियान में काण्ड में संलिप्त अभियुक्त 1. मो0 इरफान खाँ (उम्र 20 वर्ष) पे0 अब्दुल रउफ खाँ, सा0 मानपुर, थाना खैरा, जिला सारण को सिवान जिला से तथा 2. आलमताब खाँ (उम्र 50 वर्ष) पे0 स्व0 याकुब खाँ, सा0 मानपुर, थाना खैरा, जिला सारण वर्तमान पता सा0 महमूद चौक, दहियाँवा, थाना नगर, जिला सारण को पटना से गिरफ्तार करते हुए अपहृत सुनील कुमार राय को सकुशल बरामद कर लिया गया।
- अभी तक यह मामला जमीन के क्रय विक्रय हेतु राशि के भुगतान के विवाद को लेकर होने का पाया गया है। काण्ड का सभी बिन्दुओं पर अनुसंधान जारी है।

XXXXXXXXXXXX